Tribes should not be brought to the notice of the people and that atrocities committed on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are higher in number. So, Mr. Chairman, Sir, through you, I want to ask the hon. Minister whether it is being observed that the secret instructions are given by the various State Governments, including the Government of Tamil Nadu, not to treat these offences under the Prevention of Atrocities against the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Act. If so, what action is being taken by the Government of India?

SHRI I.D. SWAMI: Sir, the law and order being the State subject, if any particular State Government had issued any confidential instruction, we have no knowledge of it. They do not send a copy of it to the Central Government. That is one. Secondly, even if any such instruction have been issued, because this fact has been mentioned by the hon. Member, we will certainly find out from the States, specially, he has mentioned about Tamil Nadu, we will certainly find out from the Tamil Nadu Government if any such instructions have been issued by them. But, normally, the hon. Member would agree with me, any confidential instructions, in this context, that the cases be registered, but they should not be registered under the Civil Rights Protection Act or Prevention of Atrocities against the Scheduled Castes Act, it is not very fair to make an allegation that the State Governments are issuing these instructions. But, still, we will find out ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Next Question, please. Question number 228.

*[228. *The questioner (Shri Surendra Lath) was absent. For answer vide pages 44-45*]

पनबिजली विकास नीति, 1998

*229. श्री राम जेठमलानी:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'††

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1998 में पनबिजली विकास नीति बनायी थी;

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नीति के अंतर्गत लघु पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लघु पनबिजली क्षेत्र में विद्युत उत्पादन क्षमता का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो यह कितनी है; और

(च) इस नीति के बनने के बाद कितनी परियोजनायें बनाई गई और उनका वर्तमान बिजली उत्पादन कितना है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। देश में जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए सरकार ने 1998 में जल विद्युत विकास पर एक नीति तैयार की। इस नीति का उद्देश्य देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में जल विद्युत के हिस्से में हो रही गिरावट को रोकने हेतु उपाय करना और देश, विशेषकर उत्तरी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करना है। नीति के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ लघु एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है। लघु एवं अति लघु जल विद्युत क्षमता वाली परियोजनाओं से सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां ग्रिड प्रणाली का विस्तार अपेक्षाकृत कम किफायती है तथा नहर प्रणाली में ऊर्जा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को कम समय एवं कम पूंजीगत निवेश के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। इनमें पर्यावरणीय तथा पुनर्वास एवं पुन:स्थापन संबंधी समस्याएं भी अपेक्षाकृत कम आती हैं। इस नीति के अंतर्गत 25 मेगावाट वाली सभी लघु जल विद्युत परियोजनाएं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) को हस्तांतरित कर दी गई, ताकि इनके विकास पर और अधिक बल दिया जा सके।

(घ) से (च) 25 मेगावाट से कम स्थापित क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाएं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। एमएनईएस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले स्टेशनों की लघु जल विद्युत परियोजनाओं से देश में लगभग 15,000 मेगावाट क्षमता प्राप्त होने की संभावना है। अब तक 4233 लघु जल विद्युत संभावित स्थान, जिनकी कुल क्षमता लगभग 10,324 मेगावाट है, अभिज्ञात किए गए हैं। लगभग 1530 मेगावाट क्षमता की कुल 466 लघु जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट तक) स्थापित की

गई हैं जिसमें 1.4.1988 के बाद चालू की गई 339 मेगावाट क्षमता भी शामिल है। 196 परियोजनाएं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 610 मेगावाट है, वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

Hydel Power Development Policy, 1998

†*229. SHRI RAM JETHMALANI:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had formulated the Hydel Power Development Policy in 1998;

(b) if so, whether it is also a fact that the construction of Small Hydel Projects were targeted to be boosted up under the policy;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have made any assessment in respect of power generation capacity in the Small Hydro Power Sector;

(e) if so, the quantum thereof; and

(f) the number of projects that came into existence since the formulation of the policy alongwith the existing power generation thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. With a view to accelerating the pace of hydro-electric power development in the country, the Government formulated the Policy on Hydro Power Development in 1998. The aim of the Policy is to initiate measures to check the declining trend in the share of hydro in the overall energy generation in the country and to exploit the large hydro-electric potential available, especially in the North and North-Eastern region. The objectives of the Policy *inter-alia* include promotion of small and mini hydel projects. The small and mini hydel potential can provide a solution for the energy problems in remote and hilly areas where extension of the grid system is comparatively uneconomical and also along the canal systems. Small hydro projects can be developed in a shorter time frame as well as with a lower capital investment. They also involve fewer

†Original notice of the question was received in Hindi.

environment and rehabilitation and resettlement problems. Under this policy, all small hydel projects upto a capacity of 25 MW were transferred to the Ministry of Non-Conventional Energy Sources (MNES) to provide greater thrust for its development.

(d) to (f) Hydro-electric Projects with an installed capacity of less than 25 MW come under the purview of the MNES. As per information provided by MNES, there is an estimated potential of about 15,000 MW in the country from Small Hydel Projects (SHP) upto 25 MW station capacity. So far, 4233 small hydel potential sites aggregating about 10,324 MW capacity have been identified. 466 SHP projects (upto 25 MW) with aggregate capacity of about 1530 MW have been set up which include 339 MW capacity commissioned after 1.4.1998. 196 projects aggregating to about 610 MW are presently under construction.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति जी, सरकार के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 1998 में जल विद्युत नीति बनाई गई जिसके अंतर्गत छोटी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय हुआ। जो आकलन किया गया है उसके आधार पर पंद्रह हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का आकलन है। 1998 में यह नीति निर्धारित हुई। पांच बरस बीत जाने के बाद भी अब तक जो स्थिति है उसके अनुसार सिर्फ 610 मेगावाट की योजना निर्माणाधीन है। अगर यही रफ्तार है तो हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने में और जो आकलन है उसको 15 हजार मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, ये जितनी भी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो 25 मेगावाट से कम की हैं इन सबकी जिम्मेदारी अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय पर सौंपी गई हैं और अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय इन सारी छोटी योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देती है। जो जानकारी मेरे पास यहां पर आज उपलब्ध है, जो मूल प्रश्न में पूछा गया था कि पॉलिसी बनने के बाद, नीति के निर्माण होने के बाद इस प्रकार की कितनी परियोजनाएं लगी हैं और कितनी पॉवर जनरेट हो गई, तो मूल प्रश्न के उत्तर में हमने यह जानकारी दी है। इसे और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसे बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने हैं, लेकिन यह सीधा सवाल मेरे मंत्रालय से न होने के कारण अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय इसे देखता है तो उनसे जानकारी लेकर यदि अतिरिक्त जानकारी सदस्य महोदय चाहेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से दी जाएगी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिहार में कई बरसाती नदियां हैं, क्या सरकार द्वारा उन नदियों पर पन बिजली योजना लगा कर कृषि के क्षेत्र में भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है और उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है?

मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन बरसाती नदियों पर पन बिजली योजना के लिए कोई सर्वे कराया है? यदि नहीं कराया है तो क्या सरकार उस पर सर्वे कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, जल विद्युत को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार मेगावाट की पहल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपस्थिति में की गई और देश में लगभग 162 परियोजनाएं हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। ये जितनी भी परियोजनाएं हैं वे उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्यों में हैं और कुछ बिहार में भी हैं। इन सारी योजनाओं की जो लिस्ट है उनमें बिहार की भी कुछ योजनाएं हैं। अब मेरे पास लिस्ट यहां पर उपलब्ध नहीं है। मैं सदस्य को लिखित रूप से दे दूंगा।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I think, this is a very serious issue, and I am afraid, 25 मेगावाट के नीचे जो है, this has now been transferred to the MNES. यह जो शाइनिंग इंडिया है उसमें छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान जाता नहीं है—बड़ी चीज।

श्री सभापति: आप दे रहे हैं?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: No, Sir. I am talking about the LNG project and all that. Sir, 15,000 MW potential is there. It has to be a part of total Power Plan. Now, today, by dividing and handing it over, this potential is not being taken into account. Who is going to coordinate it in totality? Someone has to answer in totality. 1500 मेगावाट का पोटेंशल है 10,000 MW have been identified. The achievement, which he has mentioned, as it is—that I have already calculated—will take 160 years. But now, you have handed it over to the MNES. Now, who is going to take care of this? I would like to know whether the Planning Commission in the 10th Plan, has fixed some target. ये छोटे-छोटे प्लान will have a target of 20 MW. Otherwise, this will go on for 160 years, and we will have only Enron like plants. Who is going to coordinate the total corporate plan of 15,000 MW? That has to be one agency.

MR. CHAIRMAN: Let him reply.

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, सदस्य ने जो यहां पर बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय इसे देख रहा है। पहले यह नीति बनने के पूर्व तीन मेगावाट से कम के जो प्रोजेक्ट थे वे स्मॉल कहे जाते थे और उससे ऊपर के सारे ऊर्जा मंत्रालय के तहत आते थे। जब से यह नीति बनी है 25 मेगावाट के नीचे के सारे प्रोजेक्ट जिन्हें हम स्मॉल प्रोजेक्ट समझते हैं—जब अब नया कानून बना है उस नए कानून में भी, विद्युत कानून 2003 में भी यह प्रावधान किया है कि

इस प्रकार की छोटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए विशेष प्रावधान अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय के लिए भी किए हैं और इसके साथ-साथ सरकार ने बजट में भी इसे बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप में ज्यादा धनराशि आबंटित करने का फैसला किया तथा इस साल के बजट में ज्यादा धनराशि भी दी है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्वेश्चन इनका यह नहीं है। इनका क्वेश्चन यह है कि छोटी-छोटी योजनाओं का कोआर्डिनेशन कौन करेगा और कौन उनका कंट्रोल करेगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, मैं माननीय सदस्य से और आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जब हम इसकी ब्रीफिंग ले रहे थे जो इस पर हमने यह चर्चा की जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। भविष्य में इसके संदर्भ में जो काआर्डिनेशन की जिम्मेदारी है वह ऊर्जा मंत्रालय के नाते ऊर्जा मंत्रालय और अपारम्परिक दोनों की तरफ से करने का प्रयास हम जरूर करेंगे।

MR. CHARMAN: Dr. T. Subbarammi Reddy, you are always there in the Question Hour. Shri R.P. Goenka.

श्री आर० पी० गोयनका: सभापति जी, मेरा जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री सभापति: दे दिया है तो ठीक है। नेक्स्ट।

Amendments in Sections 406 and 498A of IPC

*230. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many families in India are suffering due to exaggerated allegations of harassment and dowry cases made by women against their husbands and other family members involving them in criminal misappropriation and cruelty;

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard;

(c) whether the Hon'ble High Court in a judgement on 19th May, 2003 has directed the Government to review and make suitable amendments in Sections 406 and 498A of IPC; and

(d) if so, the action Government have taken or propose to take on the judgement of the Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.